



## कार्यालय: राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०-834001

E-mail ID- [support@ranchimunicipal.com](mailto:support@ranchimunicipal.com)

पत्रांक:- 945 /

दिनांक:- 05.06.2020

### अति अल्पकालीन बन्दोबस्ती की सूचना

कार्यालय पत्रांक 567 दिनांक 05.03.2020 के द्वारा राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वाहन पड़ाव के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जो कि Covid-19 महामारी के कारण अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई थी।

अतः दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक के लिए राँची नगर निगम नियंत्रणाधीन पड़ाव की बन्दोबस्ती खुली डाक के माध्यम से करने हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है। बन्दोबस्ती अधिकतम बोली गयी डाक के आधार पर होगी। इस बन्दोबस्ती में निबंधित संस्था/समिति/प्रतिष्ठान एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

पड़ाव की सूची, सुरक्षित राशि, जमानत की राशि एवं डाक की तिथि निम्नवत है :-

क्रम सं०	पड़ाव का नाम	बन्दोबस्ती की सुरक्षित राशि	जमानत की राशि (सुरक्षित राशि का 25%)
01	सेवा सदन के सामने वाहन पड़ाव	307050	76763
02	सिद्धू-कान्हु पार्क के सामने एवं बगल में वाहन पड़ाव	137643	34411
03	हरिओम टावर के सामने वाहन पड़ाव	74558	18640
04	रंगरेज गली वाहन पड़ाव	155825	38956
05	रांची पहाड़ी के समीप वाहन पड़ाव	56829	14207
06	पेंटालुंस मॉल एच0बी0 रोड, डंगराटोली चौक के समीप वाहन पड़ाव	283283	70821
07	बिग बाजार, कांके रोड के सामने वाहन पड़ाव	101200	25300
08	प्रेमसंस मोटर, कांके रोड के सामने वाहन पड़ाव	69863	17466
09	रिलायंस मार्ट के सामने वाहन पड़ाव, कांके रोड	337038	84259


उपरोक्त पड़ावों की बन्दोबस्ती हेतु निम्न प्रकार से तिथि निर्धारित की गई है :-

	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पादन की तिथि
01 क्रम सं०- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 हेतु	दिनांक 18.06.2020 अपराह्न 1.00 बजे तक	दिनांक 18.06.2020 अपराह्न 3.00 बजे
02 आवेदन प्रपत्र का मूल्य	-	500/-रु०



नोट -1. पूर्व में निगम से लिये गये आवेदन पत्र मान्य होंगे एवं वैसे निविदादाता जिन्होंने आवेदन पत्र नहीं लिया है वे दिनांक 10.06.2020 से 13.06.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय से अपराह्न 02.00 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्तें निगम वेब-साईट [www.ranchimunicipal.com](http://www.ranchimunicipal.com) पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

  
उप नगर आयुक्त,  
राँची नगर निगम, राँची।

# कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

## पड़ाव के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि एक वर्ष के लिये होगी।
2. संबंधित पड़ाव आदि के सामने अंकित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि ( बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में ) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि	निर्धारित समय
(i)	10 लाख रु० तक	- 100% 24 घण्टे के अंदर
(ii)	10 लाख रु० से उपर	- 70% राशि 24 घंटे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा 31 जनवरी के पश्चात निविदा की अवधि स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

**नोट :-** राशि का भुगतान Demand Draft/ RTGS के माध्यम से करना होगा।

7. बन्दोबस्त राशि के विरुद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा तथा आवंटन के उपरांत निगम कार्यालय में GST No. देना अनिवार्य होगा। यदि किसी बन्दोबस्तधारी का GST निबंधन नहीं किया गया हो, तो उन्हें शपथ पत्र निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. एकरारनामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निबंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा- विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द एवं जमानत की राशि जब्त करके पुर्न निविदा आमंत्रित करने का अधिकार राँची नगर निगम को सुरक्षित होगा।
11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निम्नांकित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।


पार्किंग दर निम्नवत् होगी :-

चार पहिया वाहन	-	20/-रु०	प्रति तीन घंटा
दो पहिया वाहनों के लिये	-	05/-रु०	प्रति तीन घंटा

शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में पार्किंग शुल्क दर आधा होगा परन्तु दो पहिया वाहनों के लिये पार्किंग शुल्क 05/-रु० से कम नहीं होगा।

13. 10 मिनट की अवधि प्रतिक्षा अवधि मानी जायेगी एवं इसके लिये पार्किंग शुल्क देय नहीं होगा।
14. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार निगम का होगा।
15. Performance Security के रूप में 25,000/- रु० जमा करना होगा।
16. पड़ाव स्थल में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जानें पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/-रु० अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होने पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।
17. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल-अचल संपत्ति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं सक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. संलग्न करना अनिवार्य है।
18. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम की जिम्मेवारी नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।
19. किसी भी निविदा को बगैर कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार रांची नगर निगम को सुरक्षित होगा।

**नोट:-** मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं। यदि निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं तो निविदा की कार्रवाई बाधित नहीं होगी।

  
उप नगर आयुक्त,  
रांची नगर निगम, रांची।